संख्या– 107 /XXXVI(2)/10–3 एक(1)/2004

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

न्याय अनुभाग –2 देहरादून, दिनांक 16 जून, 2010

विषय–मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष अपील, शपथपत्र/प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत किया जाना, प्रशासकीय विभागों द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त किया जाना, इत्यादि।

महोदय,

शासनादेश संख्या– 109–एक(6)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2004 दिनांक 15–10–2004 में यह दिशा निर्देश दिये गये थे कि मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिकायें जिनमें राज्य सरकार भी प्रत्यर्थी हो, में शासन के उपसचिव से निम्न स्तर के अधिकारियों का शपथपत्र न लगाया जाय। इस विषय में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कई मामलों में विभागों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे अधिकारियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते है जो शासन के उपसचिव पद के स्तर के अथवा उससे उच्चतर नहीं है। ऐसे मामलों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त शपथपत्रों को स्वीकार नहीं किया जाता है जिस कारण राज्य सरकार का सम्बन्धित अपील/रिट याचिका में हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

2– न्याय विभाग में विभिन्न विभागों से मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपीलों में पारित निर्णयों के विरूद्व मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने एवं मा0 उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व मा0 न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष विशेष अपील योजित किये जाने हेतु पत्रावलियां प्राप्त होती है। न्याय विभाग में प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन उपरान्त प्रायः यह देखा जाता है कि अपील के प्रस्ताव में कोई बल नहीं होने के उपरान्त भी प्रस्ताव न्याय विभाग में महज औपचारिकता के रूप में प्राप्त होते है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने अनेकों प्रकरणों में यह विधि व्यवस्था

प्रतिपादित की है कि राज्य को एक आदर्श वादकारी होना चाहिए एवं अनावश्यक रूप से वाद संस्थित नहीं करने चाहिए।

3– कई मामलों में शासन के विभाग मा0 उच्च न्यायालय में विशेष अपील योजित करने हेतु मुख्य स्थायी अधिवक्ता को बिना न्याय विभाग की पूर्व अनुमति के सीधे ही पत्र निर्गत कर देते है। यह विधि परामर्शी निदेशिका एवं शासनादेश संख्या–190–एक(1) /छत्तीस(एक)/न्याय अनुभाग–2005 दिनांक 4 जून, 2005 के प्राविधानों के अनुरूप नहीं है क्योंकि उक्त के अनुसार प्रशासकीय विभाग मा0 न्यायालय में अपील योजित करने हेतु पत्रावली न्याय विभाग को सन्दर्भित करेंगे एवम् न्याय विभाग की अनुमति प्राप्त किये जाने पश्चात रिट याचिकाओं/अपीलों में प्रतिवाद करने हेतु पत्र निर्गत करेंगे।

4– कई मामलों में प्रशासकीय विभाग महाधिवक्ता से सीधे ही विधिक परामर्श मांग लेते है। महाधिवक्ता का पद सवैंधानिक पद है और प्रशासकीय विभाग द्वारा उनसे सीधे ही विधिक परामर्श मांगा जाना उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। अतः जिन प्रकरणों में राज्य हित को देखते हुए महाधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, उनमें प्रशासकीय विभाग को न्याय विभाग से उक्त परामर्श हेतु अनुरोध करना चाहिए। तदोपरान्त न्याय विभाग द्वारा प्रकरण में महाधिवक्ता से उनका बहुमूल्य विधिक परामर्श प्राप्त करने हेतु उनसे अनुरोध किया जा सकता है।

5– इसके अतिरिक्त, शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया है कि कई प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश के विरूद्व अपील योजित करने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता से अभिमत मांगा जाता है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में पैरवी नहीं की जाती है, अतः उनसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश के विरूद्व अपील योजित करने के विषय में विधिक परामर्श प्राप्त किया जाना तर्कसंगत नहीं है। उचित होगा कि ऐसे प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग द्वारा उसी अधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त किया जाय जिसने सम्बन्धित रिट याचिका में राज्य की ओर से पैरवी की हो और जिसमें पारित निर्णय/आदेश के विरूद्व अपील योजित किया जाना प्रस्तावित है।

6— अतः उक्त के दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेशों के छायाप्रतियां संलग्न करते हुए मुझे निम्नानुसार यह कहने का निदेश हुआ है कि :—

(क) मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित अपीलों/रिट याचिकाओं में राज्य की ओर से शपथपत्र केवल शासन के उपसचिव अथवा उससे उच्चतर अधिकारी द्वारा ही प्रस्तुत किया जाय।

(ख) प्रशासकीय विभागों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय में अपील किये जाने हेतु वही प्रकरण प्रेषित किये जाय जिनमें अपील के आधार में बल हो एवं अपील में सफलता प्राप्त किये जाने की सम्भावना हो।

(ग) विभागों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विशेष अपील योजित करने हेतु मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सीधे ही पत्र निर्गत न किये जाय अपितु उक्त पत्र शासनादेश दिनांक 4 जून, 2005 के अनुसार न्याय विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये जाने उपरान्त ही निर्गत किये जाय।

(घ) प्रशासकीय विभागों द्वारा महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड से सीधे ही विधिक परामर्श न मांगा जाय अपितु ऐसे प्रकरण जहां महाधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त किया जाना राज्य हित में आवश्यक हो, में उक्त परामर्श हेतु न्याय विभाग के माध्यम से अनुरोध किया जाय।

(ड.) मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश के विरूद्व अपील योजित किए जाने हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता से अभिमत प्राप्त किये जाने के स्थान पर उसी अधिवक्ता से अभिमत प्राप्त किया जाय जिसने उस याचिका में राज्य की ओर से पैरवी की हो ओर जिसमें पारित निर्णय/आदेश के विरूद्व अपील योजित किया जाना प्रस्तावित है।

भवदीया,

16.6.2010

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
प्रमुख सचिव,

पृष्ठांकन संख्या— /XXXVI(2)/10—3 एक(1)/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

उप सचिव

3-893(1)/04

संख्याः 109–एक(6)/छत्तीस(1)/न्याय अनु./2004

प्रेषक,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन।

81-8

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

देहरादून : दिनांक 15, अक्टूबर, 2004

न्याय अनुभाग :

विषयः–मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष प्रतिशपथ पत्र (Counter Affidavit) प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों की सूची।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं, जिनमें राज्य सरकार भी प्रत्यर्थी हो, में शासन के उप सचिव से निम्न स्तर के अधिकारियों का प्रतिशपथ पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है। परन्तु मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कई मामलों में विभागों के अन्य अधिकारियों को भी प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु भेजा जाता है जिनका पदनाम उप सचिव नहीं है। अतः विभागीय अधिकारियों के पदनाम, स्तर, विभागीय ढांचे में कम आदि की पूर्ण जानकारी न होने के कारण उन्हें उप सचिव से निम्न स्तर का मानते हुए मा0 उच्च न्यायालय के कार्यालय द्वारा उनका प्रतिशपथ पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है।

2– इस सम्बन्ध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता से प्राप्त पत्र दिनांक 17–9–2004 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विभागीय अधिकारियों की एक ऐसी सूची बनानी उचित होगी जो उप सचिव या उसके ऊपर के स्तर के हों ताकि उनका प्रतिशपथ पत्र मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा सके। उप सचिव के समकक्ष पद का तात्पर्य ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से है जिनका वेतनमान रू0 12000–375–16500 अथवा इससे उच्चतर हो। ऐसी सूची महाधिवक्ता, उत्तरांचल एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय को प्रेषित की जाय ताकि उक्त कठिनाई का निवारण हो सके।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(यू0 सी0 ध्यानी)
सचिव।

संख्याः 109–एक(6)/छत्तीस(1)/न्याय अनु./2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि महाधिवक्ता, उत्तरांचल एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके पत्र दिनांक 17–9–2004 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर0 डी0 पालीवाल)
अपर सचिव

O/C

संख्या : 190-एक(1)/छत्तीस(एक)/न्या.अनु./2005

प्रेषक,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परा
उत्तरांचल शासन ।

जारी
4.6.05

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

न्याय अनुभाग :

देहरादून : दिनांक: 4 जून, 2005

विषय: शासन के विरुद्ध योजित रिट याचिकाओं में प्रतिवाद आदेश निर्गत किया जाना ।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों के विरुद्ध बड़ी संख्या में रिट याचिकायें एवं अपीलें मा. उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित हो रही हैं जिनमें प्रतिवाद के आदेश अपेक्षित होते है । इस प्रकार के प्रकरणों में विधि परामर्शी निदेशिका के प्राविधानों के अनुरूप मुख्य स्थायी अधिवक्ता के स्तर पर स्थगनादेश का विरोध किया जाना अनिवार्य है ।

2. विचारोपरान्त तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुये और प्रकरणों में त्वरित सुनवाई को सुगम बनाये जाने के उद्देश्य से मा. उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल में शासन अथवा उसके अधीनस्थ किसी विभाग/अधिकारी के विरूद्ध योजित रिट याचिकाओं/अपीलों में प्रतिवाद करने और आदेश निर्गत करने हेतु शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया जाता है परन्तु इस प्रकार के आदेशों को पारित करने के उपरान्त प्रशासकीय विभाग के माध्यम से न्याय विभाग को मासिक संकलित सूचना उपलब्ध कराते हुये कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी । जिन प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रतिवाद न किये जाने का विनिश्चय किया जाय, उन प्रकरणों को विधि परामर्शी निदेशिका के प्राविधानों के अनुरूप परामर्श हेतु प्रशासकीय विभाग न्याय विभाग को सम्प्रेषित करेंगे ।

3. शासन अथवा उसके अधीनस्थ किसी विभाग/अधिकारी की ओर से मा. उत्तरांचल उच्च न्यायालय में कोई रिट याचिका/अपील दायर किये जाने, किसी अन्य मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका/अपील दायर करने, उसका प्रतिवाद करने तथा मा. उच्चतम न्यायालय में लम्बित किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद करने अथवा संस्थित करने हेतु न्याय विभाग की पूर्व अनुमति, पूर्व की भांति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

4. अत: मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि मा. उत्तरांचल उच्च न्यायालय में लम्बित विधिक कार्यवाहियों में प्रतिवाद आदेश में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिये अपने स्तर से उक्त व्यवस्था के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

Dhyani 02/6
(यू०सी०ध्यानी)
सचिव ।

संख्या 190-एक(1)/छत्तीस(एक)/न्या.अनु./2005 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महाधिवक्ता, उत्तरांचल, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।
2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।
3- समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष उत्तरांचल ।
4- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
5- एन0 आई0 सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आर०डी०पालीवाल)
अपर सचिव ।